

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम क में जारी
27/4/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उप0।</p> <p>प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 330.02 बीघा मौजा-पाबूमाली, पटवारी हल्का- मौखाब, भु- अभिलेख निरीक्षक- भियाड़, तह0 शिव में भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है। तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 14 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. ^{Order} 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 14 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
 शिव

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हकम की तामील
में जारी हुए

— आदेश —

अतः राऊराम पुत्र कलाराम, जाति— जाट, नि० पाबूमाली, तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 330.02 बीघा मौजा—पाबूमाली, पटवारी हल्का— मौखाब, भु— अभिलेख निरीक्षक— भियाड़, तह० शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रुपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 27/2019

क्रमांक/आवेदन/19/1891

दिनांक- 05.04.2019


प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राऊराम पुत्र कलाराम, जाति-जाट, नि० पावूमाली, तह० शिव। वगैरा (4)		बगताराम पुत्र नरसिंगाराम, जाति- जाट, नि० पावूमाली (मौखाव) तह० शिव वगैरा (14)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 281 रकबा 330.02 बीघा, मौजा-पावूमाली, पटवारी हल्का- मौखाव, भू-अभिलेख निरीक्षक- भियाड़, तह० शिव के चारों तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

दिनांक-05.04.2019

क्रमांक/आवेदन/19/1892-1897

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक भियाड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी मौखाव को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक भियाड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण राऊराम पुत्र कलाराम वगैरा (4) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण बगताराम पुत्र नरसिंगाराम वगैरा (14) को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

